

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
 पत्रांक— 16८ /11—सी—FP/UP/Min/29061/2017, लखनऊ, दिनांक: जुलाई २२, 2019
 सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
 मीरजापुर क्षेत्र,
 मीरजापुर।

विषय:— रेनुकूट वन प्रभाग के अन्तर्गत नार्दन कोल फील्ड्स सी० की ककरी परियोजना को लीज पर हस्तान्तरित 185.84 हेठो आरक्षित वनभूमि के प्रस्ताव का लीज नवीनीकरण के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव सं०—FP/UP/Min/29061/2017)

सन्दर्भ:— आपका पत्रांक—308 / मी०क्षे० / 33, दिनांक 17.07.2019
 महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त विषयगत प्रस्ताव का परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरान्त प्रस्ताव में ऑनलाइन व हार्डकापी में निम्नलिखित कमियों/अभिलेखों का आभाव पाया गया:

1. भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है किन्तु निरीक्षण रिपोर्ट में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उल्लंधन न किये जाने का उल्लेख है, जबकि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पूर्व की लीज की शर्तों का पालन न करते हुये उल्लंधन किया गया है। अतः संशोधित निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न कर ऑनलाइन भाग—२ में अपलोड करे।
2. भूमि की भू—गर्भीय संरचना का भूगर्भ शास्त्री का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।
3. परियोजना में लागत लाभ विश्लेषण से सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न है किन्तु लागत लाभ विश्लेषण प्रमाण पत्र में एन०पी०वी० की दर त्रुटिपूर्ण है। अतः संशोधित लागत लाभ विश्लेषण प्रमाण पत्र संलग्न कर ऑनलाइन भाग—२ में अपलोड करे।
4. प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना से सम्बन्धित अभिलेख संलग्न नहीं किया गया है, जबकि भारत सरकार की नवीनतम गाइडलाइन के चैप्टर—२ के पैरा—२.४ (iv) में "Provisions of CA will be applicable for renewal of a mining lease, including the area broken up prior to 25.10.1980, if the same was not applied earlier." का उल्लेख है। अतः प्रभावित आरक्षित वनभूमि के सापेक्ष दुगने अवनत वनभूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण का 10 वर्षों का अनुरक्षण सहित विस्तृत प्रावक्कलन संलग्न ऑनलाइन भाग—२ में धनराशि सहित अपलोड करे।
5. उपरोक्त बिन्दु सं०—४ के अनुसार क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित 1:50000 माप का रंगीन मानचित्र संलग्न कर ऑनलाइन भाग—२ में अपलोड करे।
6. उपरोक्त बिन्दु सं०—४ के अनुसार क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित Geo Referenced Digital Map संलग्न कर ऑनलाइन भाग—२ में अपलोड करे।
7. क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है। अतः संलग्न कर ऑनलाइन भाग—२ में अपलोड करे।
8. एन०पी०वी० एवं एन०पी०वी० की धनराशि में बढ़ोत्तरी के उपरांत बढ़ी धनराशि के जमा किये जाने की वचनबद्धता जो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो, संलग्न नहीं है। अतः संलग्न कर ऑनलाइन भाग—२ में अपलोड करे।
9. वन अधिकार अधिनियम—२००६ के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण—पत्र संलग्न है किन्तु प्रमाण पत्र मूल में संलग्न नहीं है तथा जिला स्तरीय समिति से पारित मूल प्रस्ताव भी संलग्न नहीं किया गया है।
10. मुख्य वन संरक्षक की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न नहीं है।
11. हार्डकापी भाग—१ व ऑनलाइन भाग—१ में परियोजना की लागत भिन्न—भिन्न है। अतः एक समान लागत अंकित करे।
12. हार्डकापी भाग—२ व ऑनलाइन भाग—२ में क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना से सम्बन्धित विवरण अंकित नहीं किया गया है।
13. मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर द्वारा भाग—३ में प्रस्ताव की संस्तुति नहीं की गयी है। अतः भाग—३ में प्रस्ताव की संस्तुति करते हुये ऑनलाइन अपलोड करे।
14. ऑनलाइन भाग—१ में रोजगार का विवरण एवं प्रस्ताव के पृष्ठ सं०—५७ पर संलग्न रोजगार विवरण में भिन्नता है। अतः एक समान रोजगार का विवरण फीड करे।

15. प्रकरण में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पूर्व में लीज की शर्तों के अनुसार वर्ष 2012-13 से अब तक लीज रेट की धनराशि जमा नहीं किया गया है, जोकि वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। आपके द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि प्रकरण मा० ७८८ उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। यदि प्रकरण में मा० ७८८ उच्चतम न्यायालय के द्वारा कोई आदेश पारित किया गया है, तो उसका पालन सुनिश्चित करे अन्यथा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के उल्लंघन की दशा में दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध भारत सरकार, नई विली के पत्रांक-11-42/2017-एफ०सी०, दिनांक 29.01.2018 के अनुसार कार्यवाही करते हुये उससे सम्बन्धित अभिलेख संलग्न करे।

कृपया किसी कार्यदिवस में अपने कार्यालय प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्ताव की 03 प्रतियों प्राप्त कराकर, इंगित कर्मियों के निराकरण के पश्चात् पूर्ण संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को 03 प्रतियों में उपलब्ध करायें, ताकि आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

भवदीय

२८८
(पंकज मिश्र)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
Aey उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या— १६८ /११-सी- FP/UP/Min/29061/2017, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट।
2. महाप्रबन्धक, नार्दन कोल फील्ड्स लिं०, ककरी परियोजना, ककरी-सोनभद्र।

२८८
(पंकज मिश्र)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

पाठ्य ५०९ अ०/३३८३-१८ उलात२३ २०१९

सरकारी प्रशासनीय कार्यालय के द्वारा

को अप्रूप लाभित छात्राओं को लाभित करने के लिए

विद्यालय की वार्षिक शिला विस्तार के

उपलब्ध काला उपकरणों को।

२८८
२८८

प्रशासनीय कार्यालय

प्रशासनीय कार्यालय